छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 420/2006</u>

श्री गणेश तिवारी,
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय ब्लॉक कांग्रेस,
आमापारा, कांकेर (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: आदेश ::
(दिनांक 19 दिसम्बर 2006)

श्री गणेश तिवारी निवासी–आमापारा, कांकेर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–18 के अंतर्गत आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की।

2/ शिकायतकर्ता ने शिकायतपत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा दिनांक 24–01–2006 एवं दिनांक 04–03–2006 के आवेदन–पत्र के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कांकेर से कांकेर जिले में स्वास्थ्य विभाग में हुई नियुक्तियों के संबंध में तथा आर.सी.एच.योजना के अंतर्गत दवाई खरीदी एवं स्वास्थ्य मेला के संबंध में जानकारी चाही थी, उसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 22–04–2006 के पत्र के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा अभिलेख शुल्क 29,212/– रूपए जमा करने की सूचना दिनां 22–02–2006 को कार्तिक राम भृत्य के जरिए भेजी गई। आवेदक की यह प्रार्थना है कि इतनी बड़ी राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया जाना नियम विरूद्ध है। आयोग के द्वारा सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कांकेर को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 15–09–2006 को जन सूचना अधिकारी के द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के द्वारा राशि जमा न करने पर जानकारी नहीं दी गई। आयोग के द्वारा यह निर्देश दिये गये कि आवेदक को अभिलेख का निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे, तत्पश्चात् वह जो अभिलेख की प्रति चाहे उसका गणना कर शुल्क बताकर, शुल्क जमा होने पर संबंधित जानकारी दी जावे। आवेदक ने यह बतलाया कि उसे फीस की सूचना नहीं मिली। अतः तत्कालीन जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध समय पर सूचना न देने के लिए 10,000/– रूपए का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आवेदक को दिनांक 09–11–2006 को आयोग के द्वारा नियत तिथि पर अभिलेख का अवलोकन करने का अवसर दिये जाने का आदेश दिया गया। आवेदक ने जिन अभिलेखों की छायाप्रति मांगी, उनका शुल्क 200/– रूपए आवेदक को सूचित कर दिया गया।

3/ आयोग के द्वारा कारण बताओ नोटिस के संबंध में आवेदक एवं तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री आर. एन. वर्मा के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि आवेदक के आवेदन–पत्र देने पर आवेदक को पत्र दिनांक 22–02–2006 के द्वारा सूचित किया गया कि अभिलेख शुल्क 2/– रूपए प्रति फोटोकापी के मान से 29,212/– रूपए जमा करे। आवेदक ने शुल्क जमा नहीं किया, अतः उन्हें अभिलेख की प्रतियाँ नहीं दी गई। आवेदक का यह कहना है कि उसे शुल्क जमा करने का पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तथ्यों के विपरीत है। क्योंकि स्वयं आवेदक कार्यालय में प्राप्त पत्र लेकर उपस्थित हुए थे। इससे स्पष्ट है कि उन्हें पत्र प्राप्त हो गया था। आवेदक ने अपने शिकायत–पत्र में उल्लेख किया है कि उसे कार्तिक राम, भृत्य के जरिये रूपया जमा करने का पत्र भेजा गया। आवेदन–पत्र में उसने शुल्क लिये जाने का विरोध किया। अनावेदक ने अपने जवाब में यह बतलाया है कि आवेदक ने काफी विस्तृत जानकारी चाही थी, जिसमें पूरे वर्ष में हुई नियुक्तियों की संपूर्ण जानकारी, आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता एवं उनके अभिलेखों की प्रति तथा आर.सी.एच. योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की खरीदी दवाई तथा उनके बिल एवं निविदाओं की जानकारी चाही थी। अभिलेखों की संख्या के आधार पर राशि की गणना कर आवेदक को अभिलेख शुल्क सूचित किया गया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आवेदक को अभिलेख अवलोकन के लिए दिनांक 08–03–2006 के पत्र द्वारा 22–03–2006 को अवसर दिया गया था, किन्तु आवेदक स्वास्थ्य मेला की जानकारी प्राप्त करने हेतु 04–03–2006 के आवेदन–पत्र के संदर्भ में अभिलेख अवलोकन के लिए उपस्थित नहीं हुए। आवेदक का यह तर्क है कि उसे जानकारी निर्धारित समयावधि में जानबूझकर नहीं दी गई, अतः तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। आवेदक ने तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर भ्रष्टाचार के कारण जानकारी नहीं दिये जाने का आरोप भी लगाया।

4/ प्रकरण से यह स्पष्ट है कि आवेदक का यह तर्क सही नहीं है कि उसे अभिलेख शुल्क जमा करने की सूचना नहीं मिली। उसके द्वारा दिये गये शिकायत–पत्र में भी उसने यह शिकायत किया है कि उसे अभिलेख शुल्क जमा करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। चूँकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार अभिलेख शुल्क निर्धारित किया गया है। अभिलेख शुल्क जमा करने के पश्चात् ही वांछित अभिलेखों की प्रतियाँ दिये जाने का नियम है। यह अवश्य है कि पत्र दिनांक 22–04–2006 में अभिलेख शुल्क 29,212/– रूपए का उल्लेख किया गया है तथा उसी पत्र में आखिरी लाईन में 24,212/– रूपए बतलाया गया। यह लिपिकीय त्रुटि है, इसके आधार पर आवेदक को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। आवेदक को यदि उपरोक्त दोनों राशि में से कौन–सी राशि जमा करना है तो वह लिखित में आवेदन देकर अथवा समक्ष उमें उपस्थित होकर भी जानकारी प्राप्त कर सकता था। आवेदक ने केवल अभिलेख शुल्क मांगे जाने पर ही आपत्ति की। तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा अभिलेखों की गणना कर अभिलेख शुल्क मांगा गया था। यदि गणना में कोई आपत्ति थी तो आवेदक अभिलेख का अवलोकन कर उसे स्पष्ट करा सकता था। किन्तु उसके द्वारा अभिलेखों का अवलोकन, अवसर दिये जाने के पश्चात् भी पूर्व में नहीं किया गया। अतः आवेदक का यह तर्क कि उसे जानबूझकर जानकारी नहीं दी गई, मान्य नहीं किया जा सकता। ऐसे कोई

प्रमाण अभिलेखों से तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत तर्कों से नहीं है, जिनसे कि यह सिद्ध हो सके कि आवेदक को दुर्भावनावश जानकारी देने से इंकार किया गया।

5/ आवेदक यदि अभिलेख शुल्क जमा करा देता तो उसे जानकारी प्राप्त हो सकती थी। आयोग के द्वारा भी आवेदक को अभिलेख के अवलोकन का अवसर दिया गया। जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 24–10–2006 को आयोग का सूचित किया कि आवेदक को निरीक्षण के लिए सूचना दी गई थी, किंतु वे उपस्थित नहीं हुए। आवेदक ने यह बताया कि वह कार्यालय गया था, किन्तु वहां अधिकारी नहीं थे। अतः आयोग के द्वारा तिथि एवं समय का निर्धारण कर अभिलेखों का अवलोकन कराने के लिए आदेश दिये। तद्नुसार आवेदक ने अभिलेखों का अवलोकन किया तथा जन सूचना अधिकारी ने 200/– रूपए अभिलेख शुल्क जमा कराने के लिए आवेदक को सूचना दी।

6/ उपरोक्त विवरण से आयोग का यह निष्कर्ष है कि जानकारी उपलब्ध न कराने के लिए तत्कालीन जन सूचना अधिकारी दोषी नहीं है, अतः उनके विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित करने का आधार नहीं है। अतः उन्हें जारी किया गया कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। चूँकि आवेदक अभिलेखों का निरीक्षण कर चुका है, अतः सूचित किया गया अभिलेख शुल्क जमा कर अभिलेख प्राप्त कर सकता है।

7/ उपरोक्तानुसार आवेदक की शिकायत का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त